"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2003—श्रावण 17, शक 1925

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक F 5-48/दो/आठ-परि./2003.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इसके पूर्व के आदेश क्रमांक 5/48/दो/आठ-परि./2002, दिनांक 4-4-2003 की निरंतरता में जिसमें यान स्वामी को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन नया नंबर लेना होगा, कालावधि में निम्नानुसार वृद्धि करती है :—

परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के मामले में 1 जनवरी, 2004 से पूर्व.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>**आर. के. विज**, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2003

क्रमांक F 5-48/दो/आठ-परि./2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 8-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>**आर. के. विज**, विशेष सचिव.

Raipur, the 8th August 2003

NOTIFICATION

No. F 5-48/दो/आठ-परि./2003.—In exercise of the powers conferred by rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the State Government hereby extend, in continuation of the previous order No. 5/48/Two/Eight-Trans./2002 dated 4-4-2003, the period within which the owner of vehicle shall obtain new number under the Motor vehicle Act, 1988 as under.

In case the motor vehicle is other than transport vehicle, before 1st January, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.